न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–   अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–   337 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :–   2023 / 563

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.तगाराम पुत्र हड़मानराम 2.अणदाराम पुत्र हड़मानराम जाति जाट निवासी गेहूवाला विरेन्द्रनगर तहसील बायतु व जिला बालोतरा		1.चम्पालाल पुत्र पुनमाराम जाति भील निवासी कुड़ी तहसील पचपदरा 2.बहादूरराम पुत्र रूपाराम जाति भील निवासी पाल रोड़ तहसील लूणी जिला जोधपुर 3.कालूराम पुत्र देवाराम जाति भील निवासी पाल रोड़ तहसील लूणी 4.मंगलाराम पुत्र देवाराम जाति भील निवासी मंसूरिया तहसील व जिला जोधपुर 5.हुआदेवी पत्नि भेराराम जाति भील 6.राजूदेवी पत्नि राजूराम जाति भील 7.आयवती पुत्री राजूराम 8.काली पुत्री राजूराम 9.घापू पुत्री राजूराम 10.पूजा पुत्री राजूराम 11.मालाराम पुत्र राजूराम विप्रार्थी संख्या 7 से 11 नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता राजूदेवी जाति भील निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थिति–</u>

1. श्री गणेश कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 12/03/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भांडियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1065/473,1071/473 व 40 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि में मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 1065/473 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टयर है,जबकि लटढा नक्शा तरमीम करीब 28 बीघा कर रखी है। जबकि प्रार्थीगण का मौके पर पूरी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन लटढा नक्शा में तरमीम कम होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अशुद्ध तरमीम के कारण विप्रार्थी आए दिन प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकिया दी जा रही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर परिशिष्ट अ मुताबिक बरंग लाल रंग दर्शितानुसार लटढा नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस एवं दैनिक स्थानीय अखबार में छायाकंन करवाकर तलब कियां गया। विप्रार्थीगण की सम्यक तामीली श्रेणी में होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम भांडियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1065/473,1071/473 व 40 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि में मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 1065/473 क्षेत्रफल 4.8967 हैक्टयर है,जबकि लटढा नक्शा तरमीम करीब 28 बीघा कर रखी है। जबकि प्रार्थीगण का मौके पर पूरी भूमि पर कब्जा काश्त है,लेकिन लटढा नक्शा में तरमीम कम होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा विवादित आराजी की तरमीम पक्षकारान को बिना सूचित किए व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरांत भी रद्दोबदल कर दी गई,जिसकी हल्का पटवारी को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नहीं था;लेकिन उसके उपरांत भी तरमीम मौका एवं रिकॉर्ड स्थिति के विपरीत लटढा नक्शा में कर दी गई,जो कि प्रार्थीगण के हितो के साथ भारी कुठराधात किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हूए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी की तरमीम मौका रिपोर्ट के मुताबिक दुरूस्त की जाती है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम भांड़ियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1065/473,1071/473 व 40 कुल क्षेत्रफल 8.2394 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि में अवस्थित है। विवादित आराजी की विदयमान लट्ठा नक्शा तरमीम व प्रस्तावित तरमीम नक्शा अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.7.2024 के अनुसार ग्राम भांडियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1065/473 रकबा 30.05 बीघा व खसरा संख्या 1066/473 (मूल नम्बर) रकबा 31.15 बीघा दर्ज है। राजस्व नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1065/473 की तरमीम अनुसार क्षेत्रफल 28.05 बीघा तथा खसरा संख्या 1066/473 को तरमीम अनुसार क्षेत्रफल 33.15 बीघा है। प्रार्थी के खसरे का क्षेत्रफल 2 बीघा कम है। तरमीम अनुसार प्रार्थी की रहवासीय पक्का मकान खसरा संख्या 1066/473 में आ रहा है,जो परिशिष्ट अ में दर्शित है। खसरा संख्या 1065/473 व मूल खसरा संख्या 1066/473 जोधपुर बालोतरा हाईवे पर स्थित है। खसरा संख्या 1066/473 के नये खसरा संख्या 2066/473,2065/2052 व 2051/2066 है। मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट साबित होता है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। इस प्रकार विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने पर मौन स्वीकृति है,क्योकि यदि एजर एतराज होता तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–भांडियावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1065/473 व 2066/2052 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक 2338/31.7.2024 के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ब मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट ब आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12·03·25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

12/03/2025

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा